

No. 3-29/Misc./2025-E.I

Dated 13.01.2026

From

संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary (Admn.)

To

सीएसआईआर के सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक।

विषय: परीवीक्षा अवधि के दौरान बाहर नियोजन हेतु आवेदन के संदर्भ में।

महोदया/महोदय,

CASE-2023 के माध्यम से चयनित अनुभाग अधिकारी/सहायक अनुभाग अधिकारी के पदों पर नियुक्त अभ्यर्थियों को सीएसआईआर द्वारा जारी नियुक्ति प्रस्ताव के खंड 17 की प्रयोज्यता के संबंध में विभिन्न प्रयोगशालाओं/संस्थानों से ऐसे मामलों में स्पष्टीकरण मांगने के संदर्भ प्राप्त हुए हैं जहां परीवीक्षा अवधि के दौरान यूपीएससी/एसएससी/राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा विज्ञापित पदों हेतु आवेदन किए गए हैं।

इस मामले की संबंधित प्रावधानों के संदर्भ में जांच करने और सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस पर विचार करने के बाद यह स्पष्ट किया जाता है कि यूपीएससी/एसएससी/राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा विज्ञापित पदों पर आवेदन करने के मामले में सीएसआईआर के नियुक्ति प्रस्ताव का खंड 17 लागू नहीं होगा।

यह स्पष्टीकरण खंड 17 की प्रयोज्यता तक ही सीमित है और इससे सेवा मामलों में लागू अन्य कोई नियम, निबंधन या शर्तें प्रभावित नहीं होंगी। इस संबंध में, पूर्व में जारी स्पष्टीकरण भी सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,


(सुनील कुमार)
उप सचिव